

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री खेमा

विपक्षी : जुमा

किस्म मुकदमा -53, 188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 205/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 04.03.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश किया। प्रकरण में वादी नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस वाद में कोई दाद नहीं चाहकर इसी स्तर पर ड्रॉप कराने का निवेदन किया है। प्रतिवादी को नकल दिलाई गई। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर नो आब्जेक्शन किया। प्रकरण में वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रकरण में वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

